652

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः एफ.18(3)नविवि/नियम/2015 जयपुर,दिनांकः– 9/12/16

आदेश

भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा दिनांक 08.11.16 के अनुसार रूपये 500 व 1000 के नोट को बंद करते हुए नवीन मुद्रा जारी की गयी है। उक्त डिमोनेटाईजेशन के फलस्वरूप होने वाली कठिनाई के मध्य नजर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्राधिकरणों, न्यासों, आवासन मण्डल की सभी प्रकार की बकाया राशि जिसका भुगतान दिनांक 08.11.2016 व 31.03.2017 के मध्य किया जाना अपेक्षित है, उक्त बकाया राशि दिनांक 31.03.17 तक जमा करवाने पर 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर वसूल/जमा करवायी जा सकेगी।

आज्ञा से,

— ह० —
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
11. रक्षित पत्रावली।

09/12/16
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम